ऑन लाईन नं. GCMS 2022/88

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : डा. हरीतिमा, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं0 06/2022

श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

श्री राजन आहुता पुत्र श्री सुरेन्द्र आहुजा जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नम्बर 19, टेलीफोन एक्सचेंज के पास पदमपुर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
मैसर्स :– राजन स्टोर, मेन मार्केट, 161 पदमपुर श्रीगंगानगर।

विक्रेता एवं मालिक

अपराध अ0 धारा 26 उपधारा 2(ा)खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011

निर्णय **दिनांक : 16.06.2023**

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता दिनांक 26.10.2020 से कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार खाद्य सरुक्षा अधिकारी, नियुक्त किया गया है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2020 के अनुसार उन्हें कार्य क्षेत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगगानगर आवंटित किया गया है। श्रीगंगानगर कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्य क्षेत्र में बताये है।

श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 20.08.2021 को दोपहर बाद 02.00 पी.एम. पर राजन आहुता पुत्र श्री सुरेन्द्र आहुजा जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नम्बर 19, टेलीफोन एक्सचेंज के पास पदमपुर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर फर्म मै. राजन स्टोर, मेन मार्केट, 161 पदमपुर श्रीगंगानगर पर पहुंचे, अपना परिचय दिया। वहां फर्म पर श्री राजन आहुता पुत्र श्री सुरेन्द्र आहुजा जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नम्बर 19, टेलीफोन एक्सचेंज के पास पदमपुर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर फर्म मै. राजन स्टोर, मेन मार्केट, 161 पदमपुर श्रीगंगानगर विक्रेता एवं मालिक की हैसियत से मौजूद था को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य अनुज्ञापत्र दिखाने का कहा तो उसने खाद्य अनुज्ञापत्र मौके पर दिया। जिसकी प्रति सलंग्न है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर निरीक्षणार्थ निर्माण ईकाई पर **सरसों तेल–भटनेर गोल्ड ब्राण्ड** के 500–500 लीटर की 40 बोतले पैक पेट बोतले, मौके पर विक्रय हेतु रखी थी, **सरसों तेल–भटनेर गोल्ड ब्राण्ड** के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत, जांच हेतु दुकान में रखे **सरसों तेल–भटनेर गोल्ड ब्राण्ड** में से वास्ते

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

नमूना जांच 04 पैक बोतलें नमूना वास्ते लिया। विक्रेता एवं मालिक को मौके पर फार्म संख्या 5ए की प्रति नमूना सूचनार्थ तैयार कर गवाहन व स्वयं के हस्ताक्षर कर विक्रता के हस्ताक्षर करवा के फार्म नम्बर 5ए की एक प्रति मौके पर मालिक विक्रेता दी और खरीद प्राप्ति रसीद ली जो संग्न है। तत्पश्चात **सरसों तेल–भटनेर गोल्ड ब्राण्ड** के 500–500 लीटर की 4 बोतले पैके पेट बोतले, खाद्य पदार्थ लिये, जिसके पेटे 400/– रूपये नगद देकर गवाहान , विक्रेता एवं स्वयं के हस्ताक्षर कर रसीद प्राप्त की जो सलंग्न है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **सरसों तेल–भटनेर गोल्ड ब्राण्ड** के कुल 4 बोतल खादर्य पदार्थ नमूने वास्ते लिये , जिसको मूल ही चार बोतलों को प्रत्येक को लेबल कर प्रत्येक नमुना पर लेबल चिपकाए एवं लेबलों पर डीओ कोड एवं सिरीयल नम्बर **के–1197** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये और जार को अलग–अलग खाकी कागज में लेपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ गंगानगर की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप **के–1197** नियमानुसार चारो नमूनो पर नीचे से उपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को पेपर स्लीप उपर धागे से बांधकर नियमानुसार चार–चार जगह ब्रास सील से मोहर चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने खाद्व पदार्थ का विवरण **के–1197 सरसों तेल–भटनेर गोल्ड ब्राण्ड** लिखकर हस्ताक्षर कियें एवं स्वयं ने हस्ताक्षर किये, चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसे खाद्य कारोबारकर्त्ता राजन आहुता ने पढकर, समझकर हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम. एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/323/एक्ट/2021/323 दिनांक 04.10.2021 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **के–1197 सरसों तेल–भटनेर गोल्ड ब्राण्ड** (Misbranded Food) होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त श्री राजन आहुता पुत्र श्री सुरेन्द्र आहुजा, मैसर्स राजन स्टोर, मेन मार्केट, 161 पदमपुर श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **सरसों तेल–भटनेर गोल्ड ब्राण्ड** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 01.04.2022 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि :–

1. प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में लक्ष्मीकांत गुप्ता को खाद्य सुरक्षा अधिकारी होने के कथन जानकारी के अभाव में होने के स्वीकार नहीं है परन्तु प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त करने से इन्कारी भी नहीं है। इस चरण के यह कथन कि श्रींगानगर जिले के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

क्षेत्र खाद्य सुरक्षा अधिकारी लक्ष्मीकांत गुप्ता के कार्यक्षेत्र में आते है जानकारी के अभाव में स्वीकार नहीं है।

2. यह कि आवेदन पत्र की चरण संख्या 2 स्वीकार है।
3. यह कि आवेदन पत्र की चरण संख्या 3 स्वीकार है।
4. यह कि आवेदन पत्र की चरण संख्या 4 में यह कथन कि मौका निरीक्षण किया गया स्वीकार है, परन्तु आगे के यह कथन कि बोतले नमुना सील के लिए ली गई जानकारी के अभाव में स्वीकार नहीं है। प्रार्थी यहां निवेदन करता है कि जो तेल भटनेर गोल्ड ब्राण्ड का आता है उसको बगैर खेले सील पैक बोतल ही आगे विक्रय की जाती है इसलिए उसमें किसी प्रकार का मिलावट व खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 का दुरूपयोग नहीं होता है। इस कथन में आगे के शेष कथन विभागीय कार्यवाही से सम्बन्धित है, जो जानकारी के अभाव में स्वीकार नहीं है।
5. यह कि आवेदन पत्र की चरण संख्या 5 में खाद्य पदार्थ बोतल के नमूना शील से सम्बन्धित है जिसके जबाब की आवश्यकता नहीं है। इस चरण के कथन में लेबल पर हस्ताक्षर करवाने के कथन स्वीकार है। शेष कथन जानकारी के अभाव में स्वीकार नहीं है।
6. यह कि आवेदन पत्र की चरण संख्या 6 विभागीय कार्यवाही से सम्बन्धित है जिसके जबाब की आवश्यकता नहीं है।
7. यह कि आवेदन पत्र की चरण संख्या 7 प्रयोगशाला लेबल जांच से सम्बन्धित है जिसके जबाब की आवश्यकता नहीं है।
8. यह कि आवेदन पत्र की चरण संख्या 8 के जबाब की आवश्यकता नहीं है।
9. यह कि आवेदन पत्र की चरण संख्या 9 में यह कथन कि राजन आहुजा के विक्रता होने के कथन स्वीकार है मालिक होने के कथन स्वीकार नहीं है।
10. यह कि आवेदन पत्र की चरण संख्या 10 में लिये गये यह कथन कि प्रार्थी द्वारा खाद्य सुराक्षा अधिनियम 2006 का उल्लधन किया है स्वीकार नहीं है फिर भी न्यायालय उचित समझकर जो जुर्माना निर्धारित करता है तो प्रार्थी अदायगी करने को तैयार है।
11. यह कि आवेदन पत्र की चरण सख्या 11 में अधिक से अधिक जुर्माने के कथन स्वीकार नहीं है क्योंकि प्रार्थी एक गरीब व्यक्ति है तथा तेल बेचकर अपना व अपने परिवार का जीवन यापन करता है इसलिए नरमी का रूख अपनाते हुए उक्त पत्रावली का निस्तारण किया जावें।

अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त पत्रावली में प्रार्थी के खिलाफ खोली गई कार्यवाही को ड्रोप किया जाकर पत्रावली को दाखिल दफतर किए जाने का आदेश पारित किया जावें।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **सरसों तेल–भटनेर गोल्ड ब्राण्ड** का सैम्पल **के–1197** जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/323/एक्ट/2021/323 दिनांक 04.10.2021 द्वारा सब (Misbranded Food) होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। जिसमें अधिकतम 5,00,000 रूपये की शास्ति का प्रावधान है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कहा है कि प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त करने से इन्कारी भी नहीं है। इस चरण के यह कथन कि श्रीगानगर जिले के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र खाद्य सुरक्षा अधिकारी लक्ष्मीकांत गुप्ता के कार्यक्षेत्र में आते है जानकारी के अभाव में स्वीकार नहीं है।मौका निरीक्षण किया गया स्वीकार है, परन्तु आगे के यह कथन कि बोतले नमुना सील के लिए ली गई जानकारी के अभाव में स्वीकार नहीं है। प्रार्थी यहां निवेदन करता है कि जो तेल भटनेर गोल्ड ब्राण्ड का आता है उसको बगैर खेले सील पैक बोतल ही आगे विक्रय की जाती है इसलिए उसमें किसी प्रकार का मिलावट व खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 का दुरूपयोग नहीं होता है। प्रार्थी एक गरीब व्यक्ति है तथा तेल बेचकर अपना व अपने परिवार का जीवन यापन करता है इसलिए नरमी का रूख अपनाते हुए उक्त पत्रावली का निस्तारण किया जावें।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of " **Mustard Oil (भटनेर Gold)**" bearing Code No. and Sr. No. **K-1197** of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sriganganagar is Misbranded Food Under section 3(1)(zf)(c)(i) of Food Safety and Standards Act-2006. की जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त राजन आहुता पुत्र श्री सुरेन्द्र आहुजा – फर्म राजन स्टोर, मेन मार्केट, 161 पदमपुर श्रीगंगानगर को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त राजन आहुता पुत्र श्री सुरेन्द्र आहुजा को खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत राशि रूपये 5,000–00 (अखरे रूपये पांच हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में **सरसों तेल–भटनेर गोल्ड ब्राण्ड** बनाने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डा. हरीतिमा)
न्यायिक पर्यवेक्षक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
श्रीगंगानगर